सुरेशचंद्र सिंह और अन्य

बनाम

फर्टिलिज़र कोर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य

16 अक्टूबर, 2003

[न्यायाधिपति एस. राजेंद्र बाबू और न्यायाधिपति रूमा पाल]

सेवा कानून-सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि-भारत सरकार और संबंधित मंत्रालयों ने सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष जारी किया-संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा नियम और विनियम में संशोधन पर प्रभावी होने वाले निर्देश -उत्तरदाता निगम ने वित्तीय बाधाएं और अत्यधिक कार्यबल के कारणो से ओ.एम. को लागू नहीं करने का निर्णय लिया। -अपीलकर्ताओं ने ओ.एम. के कार्यान्वयन के लिए उच्च न्यायालय में 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर रिट याचिका दायर की-उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया-अपील पर, आयोजित निर्देश संबंधित नियमों और विनियमों में संशोधन की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होने वाले थे-निदेशक मंडल के संकल्प में पूरी तरह से निर्धारित निर्देशों को लागू नहीं करने के लिए प्रासंगिक कारक जो न मनमाना और न ही अनुचित था।

भारत का संविधान-अनुच्छेद 32 और 226- प्रशासनिक निर्देशों के खिलाफ रिट की रखरखाव- न्यायालय ऐसे प्रशासनिक निर्देशों को लागू करने के लिए रिट जारी नहीं कर सकता है जिसमें कानून का कोई बल नहीं है-अपीलकर्ताओं के पास कोई अधिकार 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने का अधिकार नहीं है -निदेशक मण्डल न तो मनमानी करते हैं और न ही अनुचित।

भारत सरकार ने पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर ओ. एम. दिनांक 13.5.1998 जारी किया।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष तक। ये निर्देश संबंधित नियमों और विनियमों में संशोधन की अधिसूचना की तारीख से लागू होने वाले थे। उस पर 19.5.1998 , सार्वजनिक उद्यम विभाग, उद्योग मंत्रालय,भारत सरकार ने यह स्पष्ट करते हुए एक और ओ. एम. जारी किया कि इस तरह के परिवर्तन उस तारीख से लागू होंगे जब संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने अपने प्रासंगिक नियमों और विनियमों में संशोधन किया था। प्रतिवादी-निगम के निदेशक मंडल ने मामले पर विचार किया और चल रहे घाटे, अधिशेष कार्यबल, बीमार के रूप में इसकी घोषणा और बीएफआईआर के संदर्भ के कारण सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लेते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इसलिए, प्रतिवादी-निगम को भारत सरकार द्वारा

छूट प्रदान की गई थी। अपीलकर्ता प्रतिवादी-निगम में कार्यरत थे। 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्होंने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की ताकि 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले उन्हें काम से न हटाया जाए। रिट याचिका खारिज कर दी गई। इसलिए ये अपीलें की जाती हैं।

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि ओ.एम. दिनांक 13.5.1998 ने स्वयं ही सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी और उसमें मौजूद नीति ने प्रतिवादी-निगम को अनिवार्य रूप से बाध्य कर दिया; समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए बोर्ड स्तर के कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई; और विभिन्न निगमों के कर्मचारियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि बोर्ड स्तर के कर्मचारियों की तुलना अन्य कर्मचारियों से नहीं की जा सकती क्योंकि दो पूर्णकालिक निदेशकों को एक निश्चित अवधि के लिए सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है; और बोर्ड के अन्य सदस्य सरकारी कर्मचारी हैं और विभिन्न मंत्रालयों से नामांकित या प्रतिनिधि हैं और उन्हें 3 साल की अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया:

1. कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिनांक 25.1.1991 और 8.4.1991 के आई.ओ.एम. ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी निर्देश/दिशानिर्देश दो प्रकार के होंगे, नामतः जारी किए गए निर्देश। भारत के राष्ट्रपति और दिशानिर्देश। निर्देश राष्ट्रपति के नाम पर प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने थे जबकि अन्य सभी निर्देश सार्वजनिक उद्यम विभाग या प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने थे जो प्रकृति में सलाहकार थे और संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निदेशक मंडल द्वारा जारी किए जाने थे। लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों को अपने विवेक से अपना सकते हैं या नहीं अपना सकते हैं (942-ए-सी)

2. भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बढ़ाने का नीतिगत निर्णय लिया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों के संबंध में उस निर्णय का कार्यान्वयन कई कारकों पर निर्भर है जिन्हें प्रत्येक कंपनी या निगम या विभाग की विशिष्ट विशेषताओं के प्रकाश में ध्यान में रखा जाना चाहिए। दिनांक 13.5.1989 के ओएम में ही प्रावधान है कि आदेश अधिसूचना की तारीख से ही लागू होगा।

प्रासंगिक नियमों और विनियमों में संशोधन। सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखने के बाद नियमों और विनियमों में आवश्यक बदलाव करना संबंधित प्राधिकारी का काम है। दिनांक 13.5.1998 के ओएम के

तुरंत बाद सार्वजनिक उद्यम विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 19.5.1998 को ओएम जारी किया जिसमें संबंधित विभाग में पहले ओएम के कार्यान्वयन के तौर-तरीके शामिल थे। ओएम दिनांक 19.5.1998 में जारी कोई निर्देश नहीं है राष्ट्रपति का नाम. दूसरी ओर, यह सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किया गया था, जो प्रकृति में सलाहकार है। इसने सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखने के बाद बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति की आयु के कार्यान्वयन के लिए निगमों या कंपनियों को व्यापक विवेक प्रदान किया। इस निर्देश के अनुसरण में प्रतिवादी के निदेशक मंडल ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया।

निदेशक मंडल पर हावी प्रासंगिक कारक इसके संकल्प में पूरी तरह से निर्धारित हैं। (942-सी-जी)

3. ओ. एम. दिनांकित 19.5.1998 स्वयं सेवानिवृत्ति की आयु 60 साल तक नहीं बढ़ाता है। यह केवल एक प्रशासनिक निर्देश है और न्यायालय ऐसे प्रशासनिक निर्देशों को लागू करने के लिए एक रिट जारी नहीं कर सकता है जिसके पास कानून का बल नहीं है। अपीलार्थियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। निदेशक मंडल का निर्णय मनमाना या अनुचित या सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि के प्रश्न से असंबंधित नहीं है। [943 - बी-डी]

4. निदेशक मंडल स्वयं एक अलग वर्ग बनाता है और उन पर लागू सेवा शर्तों के संबंध में अन्य कर्मचारियों के साथ तुलना नहीं की जा सकती है। अपीलार्थियों के साथ अन्य निगम के कर्मचारियों के साथ कोई भेदभाव नहीं है। प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यह एक स्वतंत्र निकाय है और कानून के अनुसार अपनी सेवा शर्तों के लिए स्वतंत्र है। प्रत्यर्थी-निगम के सभी कर्मचारी जो इसकी विभिन्न इकाइयों और प्रभागों में काम कर रहे हैं, प्रासंगिक नियम के अनुसार 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं और यह कि भविष्य के कर्मचारी भी 58 उम्र में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। विभिन्न निगमों के कर्मचारियों के साथ समान रूप से व्यवहार नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक निगम को अपनी अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा ताकि अपनी नीति तैयार की जा सके। (943-एफ-एच; 944-ए)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 717-719/1999

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सिविल विविध में डब्ल्यू. पी. संख्या 24069, 27662 और 23656/1998 में दिनांक 16.10.1998 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

डब्ल्यू. पी. (ग) संख्या 133/2000

मनोज गोयल, शवोदीप रॉय, अविनाश कुमार और बृज भूषण अपीलार्थी के लिये।

मुकुल रोहतगी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, पुनीत डी. त्यागी उत्तरदाता के लिये।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

न्यायाधिपति राजेन्द्र बाबू

पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने दिनांक 13 मई, 1998 एक कार्यालय ज्ञापन (ओएम) सं. 25012/2/87-कॉलम (ए) जारी किया जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु पचास से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई । यह भी प्रावधान किया गया था कि ओम में आएगा संबंधित नियमों और विनियमों में संशोधन की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी । इसी तरह के प्रभाव के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने 19 मई, 1998 को एक और ओ. एम. संख्या 18 (6)/98-जी. एम.-जी. एल.-02 जारी किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि सेवानिवृत्ति की ऐसी वृद्धि संबंधित नियमों की तारीख से लागू होगी और संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम दवारा पी. एस. ई. के नियमों में संशोधन किया जाता है।

इस ओ. एम. के अनुसार निदेशक मंडल भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (एफ. सी. आई. एल.) ने इस मामले पर विचार किया और 6 जुलाई 1998 को एक प्रस्ताव पारित किया गया। जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

".... बोर्ड ने नोट किया कि एफ. सी. आई. एल. को अप्रैल 1992 में बी. एफ. आई. आर. को भेजा गया था और नवंबर 1992 में उसे बीमार घोषित कर दिया गया था। बी. एफ. आई. आर. द्वारा अब तक किसी भी पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी नहीं दी गई है। गोरकपुर इकाई जून 1990 से बंद है। 5916911 9 कैरिंग। 1-7-1998 पर 1322 पुरुषों का अधिशेष और कोरबा, जो कि 31616 92 2 डब्ल्यूएएसवाउंड कप है, 54 पुरुषों का अधिशेष ले जा रहा है। इसके अलावा एफ. सी. आई. एल. निगम में सभी तरह से अधिशेष ले जाने के लिए जिसके विशेष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने वाली स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना 1998 के तहत कर्मचारियों को जल्दी सेवानिवृत्ति लेने के लिए प्रेरित करना तब से चल रहा है1 और अब तक 30.6.1998 तक 1524 व्यक्तियों ने इसके तहत लाभ उठाया है एफ. सी. आई. एल. महत्वपूर्ण पूंजीगत व्यय, कार्यशील पूंजी के लिए समर्थन और अपनी इकाइयों द्वारा भारी परिचालन नुकसान को पूरा करने के लिय पूरी तरह से सरकार पर निर्भर है। कर्मचारियों का वेतन संशोधित नहीं किया गया है; परिणामस्वरूप प्रतिभा की उड़ान हुई है। एकमात्र छोटा सा

प्रोत्साहन पदोन्नति था, जो सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने की स्थिति में भी अवरुद्ध हो जाएगा। सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने में वित्तीय निहितार्थ शामिल हैं, जो कि बी. आई. एफ. आर. के समक्ष निगम के पुनरुद्धार प्रस्ताव को और खतरे में डाल देगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सर्वसम्मति से सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 60 वर्ष मुद्दा नहीं उठाने का फैसला किया ।

यह निर्णय 21 अगस्त 1998 को संबंधित मंत्रालय को सूचित किया गया था और उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने 30 दिसंबर 1999 के पत्र के माध्यम से सेवानिवृत्ति की आयु 58 से बढ़ाकर 60 करने से छूट दी थी। इस बीच अपीलार्थी सेवानिवृत्त हो गए हैं सेवा अनुबंध की शर्तों के अनुसार 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर। इसमें अपीलकर्ताओं ने उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया कि वे साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले उन्हें सेवाओं से सेवानिवृत्त न करें। वर्षों तक और इस तरह के समय तक अपने कर्तव्यों के कामकाज और निर्वहन में हस्तक्षेप न करें। उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया और इसलिए विशेष अनुमति द्वारा यह अपील की गई।

अपीलार्थियों की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि 13 मई 1998 के ओ. एम. ने स्वयं ही सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी है और उसमें

निर्धारित नीति हैः सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए एफ. सी. आई. एल. के लिय अनिवार्य और बाध्यकारी है। यह ओ. एम. केवल सरकारी सिविल सेवाओं के कर्मचारियों पर लागू होता है न कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों पर। अतः इस ओम के कारण, अपीलार्थी यह तर्क नहीं दे सकते कि वे 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने के हकदार हैं। केवल सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 19 मई 1998 को जारी ओ. एम. द्वारा उक्त नीति को संबंधित नियमो में संशोधन की तारीख से प्रभावी होने के लिए लागू किया गया था।

25 जनवरी 1991 और 08 अप्रैल 1991 के ओ.एम. द्वारा, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम विभाग ने यह स्पष्ट है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए सभी निर्देश/दिशा-निर्देश दो प्रकार के होंगे-क- राष्ट्रपति के नाम पर जारी किए गए निर्देश और ख- दिशानिर्देश निर्देश राष्ट्रपति के क्षेत्र में प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे जबकि अन्य सभी निर्देश जारी किए जाएंगे लोक उद्यम विभाग या प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा केवल परामर्श दिए जाते हैं जिन्हें संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निदेशक मंडल अपने विवेक से लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए विवेक से अपना सकता है या नहीं।

यहां भारत सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बढ़ाने का नीतिगत निर्णय लिया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के

कर्मचारियों के संबंध में उस निर्णय का अनुप्रयोग कई कारकों पर निर्भर करता है जिन्हें प्रत्येक कंपनी या निगम या विभाग की विशिष्ट विशेषताओं के आलोक में ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए पहला ओ. एम. में ही प्रावधान है कि आदेश केवल संबंधित नियमों और विनियमों में संशोधन की अधिसूचना की तारीख से ही लागू होगा। इसलिए यह संबंधित प्राधिकारी का दायित्व है कि वह सभी प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नियमों और विनियमों में आवश्यक परिवर्तन करे। 13 मई 1998 के पहले ओ. एम. के तुरंत बाद सार्वजनिक उद्यम विभाग, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने ओ. एम. जारी किया दिनांक 19 मई 1998 जिसमें इस विभाग में पहले ओ. एम. के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों का विवरण दिया गया था। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि 19 मई 1998 का ओ. एम. राष्ट्रपति के नाम पर जारी किया गया निर्देश नहीं है। दूसरी ओर, यह सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किया गया था, जो प्रकृति में सलाहकार है। इसने निगमों या कंपनियों को सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु को लागू करने के लिए एक व्यापक विवेक प्रदान किया। इस निर्देश के अनुसरण में एफ. सी. आई. एल. के निदेशक मंडल ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि नहीं करने का निर्णय लिया। प्रासंगिक कारक जो निदेशक मंडल को अपने संकल्प में पूरी तरह से निर्धारित किया गया है और वे हैंः कि कंपनी देश में सबसे अधिक घाटा कमाने वाली कंपनियों में से एक है; कि संबंधित

तिथि तक संचित नुकसान 5049 करोड़ रुपये था; कि कंपनी को प्रतिदिन लगभग 2.35 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हो रहा है। कि कंपनी के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने की कोई क्षमता नहीं है; कि कंपनी को बी. आई. एफ. आर. के पास भेजा गया था और उसे 6.11.1992 में बीमार घोषित किया गया था; कि संबंधित तिथि पर कंपनी की कुल संपति 4316.2 करोड़ रुपये की नकारात्मक संपत्ति है और; कि कंपनी के पास अधिशेष श्रमशक्ति है; कि वह कोई नया कर्मचारी नहीं ले रही है, बल्कि इसके विपरीत वह अधिशेष मानव शक्ति को कम करने के लिए सचेत प्रयास कर रही है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि 19 मई 1998 का ओ. एम. स्वयं सेवानिवृत्ति की आयु को साठ वर्ष तक नहीं बढ़ाता है। यह केवल एक प्रशासनिक निर्देश है और न्यायालय इस तरह के प्रशासनिक निर्देशों को लागू करने के लिए रिट जारी नहीं कर सकता है। जिनके पास कानून का बल न हो। अपीलार्थियों को साठ वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। निदेशक मंडल का निर्णय मनमाना या अनुचित या सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि के प्रश्न से असंबंधित नहीं है। इसलिए पहला तर्क खारिज कर दिया जाता है।

अपीलार्थीयों ने समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन के आधार पर बोर्ड के निर्णय की आलोचना की। यह आरोप है कि बोर्ड स्तर के कर्मचारियों को

साठ वर्ष की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई थी और अपीलार्थी जैसे कर्मचारी जो बोर्ड स्तर से नीचे थे, उन्हें 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया गया था। जवाब में उत्तरदाताओं ने कहा कि बोर्ड स्तर के कर्मचारियों की तुलना दूसरे के साथ नहीं की जा सकती है। पूर्णकालिक निदेशक, जिनकी संख्या दो होती है, सीधे भारत के राष्ट्रपति द्वारा पांच साल की निश्चित अवधि के लिए नियुक्त किए जाते हैं जिनकी समीक्षा पहले भी की जा सकती है; सरकारी कर्मचारी और विभिन्न मंत्रालयों से नामित या प्रतिनिधि होते हैं और उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा तीन साल की अवधि के लिए की जाती है। इन परिस्थितियों में हम पाते हैं कि निदेशक मंडल स्वयं एक अलग वर्ग बनाता है और इसकी तुलना अन्य कर्मचारियों के साथ नहीं की जा सकती है। उन पर लागू सेवा की शर्तों को ध्यान में रखते हुए। अन्य निगमों के कर्मचारियों की तुलना में अपीलकर्ताओं द्वारा भेदभावपूर्ण राष्ट्र का आरोप भी लगाया जाता है। प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम एक स्वतंत्र निकाय/संस्था है और कानून के अनुसार अपनी सेवा शर्तों के लिए स्वतंत्र है। हालांकि,एफ. सी. आई. एल. के सभी कर्मचारी जो इसकी विभिन्न इकाइयों में और प्रभाग काम कर रहे हैं सुसंगत नियमों के अनुसार 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं और भविष्य के कर्मचारी भी 58 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हम यह भी पाते हैं कि चूंकि विभिन्न निगमों के कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता था,

इसलिए प्रत्येक निगम को अपनी अलग व्यवस्था को ध्यान में रखना होगा। ऐसी परिस्थितियाँ जिससे इसकी नीति तैयार की जा सके और परिणामस्वरूप तर्क यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अन्य निगम के कर्मचारियों के साथ अपीलार्थियों का भेदभाव होता है। इस प्रकार, अपीलार्थी सभी आधारों पर विफल रहे हैं। याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

उचित रिट या आदेश या निर्देश जारी करने की प्रार्थना के साथ एक रिट याचिका भी दायर की गई थी।- (ए) दिनांक 19/05/1998 और 21/08/1998 के ओ एम को लागू करने के लिए और (ख) हमारे द्वारा विचार किए गए समान आधारों पर उर्वरक विभाग के दिनांकित 30/12/1999 आदेश को अपीलों में रद्द करने के लिए।

इसमें बताए गए कारणों से यह याचिका भी खारिज हो जाती है।

ए. क्यू.

अपील/याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।